भाग–ए

न्यायालय : अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजि0, क्रम–13, जयपुर महानगर प्रथम, मुख्यालय सांगानेर।	
पीठासीन अधिकारी	ममता गुप्ता, आर0जे0एस0
निर्णय दिनांक	18.08.2026
प्रकरण संख्या	3039/2014(1349/2009)
अपराध धारा	336,435,147 भा0द0संहिता
सीआईएस नं0	1306/2020
सीएनआर नं0	RJJM290013632020
एफआईआर नं0	738/2008, पुलिस थाना सांगानेर, जयपुर पूर्व
परिवादी/शिकायतकर्त्ता	राज्य सरकार
राज्य की ओर से	अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त	**01**.चन्द्रप्रकाश पुत्र श्री रमेश चन्द शर्मा, उम्र–वयस्क निवासी–75/99, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर। 0**2**. गुमान सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, उम्र वयस्क, निवासी–75/97, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर। 0**3**. इन्द्रेश कुमार पुत्र श्री शंकरलाल, उम्र वयस्क, निवासी–75/58, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर। 04. **कपिल** पुत्र श्री भाग्यलाल, उम्र वयस्क, निवासी– बीवासर, चूरू, हाल– प्लॉट नं. 29, कैलाशपुरी, टोंक रोड, जयपुर। **(मफरूर दिनांक 02.12.2019)** **05.** हरिओम श्रीवास्तव पुत्र श्री गोरधन लाल, उम्र वयस्क, निवासी–75/92, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर। **06.** शैलेन्द्र शर्मा पुत्र श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा, उम्र वयस्क, निवासी– 75/99, सेक्टर–7,प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर। 0**7**. नरेन्द्र शर्मा पुत्र श्री रमेश चन्द्र, उम्र वयस्क, निवासी–75/100 सेक्टर–7, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर। **08**. रितेश श्रीवास्तव पुत्र श्री हरिओम श्रीवास्तव, उम्र वयस्क, निवासी– 75/92, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर। 0**9.** मनोज पुत्र श्री महोदव, उम्र वयस्क, निवासी– 75/74, सेटर–7, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर। 1**0**. विजय सिंह पुत्र श्री गोरधनलाल, उम्र वयस्क, निवासी–75/92, सेक्टर–7, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर। **अभियुक्तगण**
अधिवक्ता अभियुक्तगण	श्री कैलाश जोशी

भाग –बी

अपराध की दिनांक	13.07.2008
प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की दिनांक	13.07.2008
आरोप पत्र दाखिल करने की दिनांक	15.04.2009
आरोप सुनाये जाने की दिनांक	16.02.2026
बयान आरम्भ करने की दिनांक	22.04.2026

बहस अंतिम सुनने की दिनांक	18.08.2026
निर्णय की दिनांक	18.08.2026
दण्डादेश सुनाये जाने की दिनांक	..

भाग–सी

अभियुक्त का विवरण

क.सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत की दिनांक	धारा	दोषमुक्त/दोषसिद्ध	दण्डित या नहीं	धारा 468 बीएनएसएस के तहत अभियुक्त द्वारा प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि
01	चन्द्रप्रकाश	——	——	147,336,435 भा0द0संहिता	दोषमुक्त	नहीं	
02	गुमान सिंह	——	——		दोषमुक्त	नहीं	
03	इन्द्रेश कुमार	——	——		दोषमुक्त	नहीं	
04	**कपिल**	——	——		**मफरूर**		
05	हरिओम श्रीवास्तव	——	——		दोषमुक्त	नहीं	
06	शैलेन्द्र शर्मा	——	——		दोषमुक्त	नहीं	
07	नरेन्द्र शर्मा	——	——		दोषमुक्त	नहीं	
08	रितेश श्रीवास्तव	——	——		दोषमुक्त	नहीं	
09	मनोज	——	——		दोषमुक्त	नहीं	
10	विजय सिंह	——	——		दोषमुक्त	नहीं	

भाग द्वितीय

अभियोजन पक्ष/बचाव पक्ष/न्यायालय द्वारा परीक्षित साक्षीगण की सूची

अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी

क.सं.	साक्षी का नाम	साक्षी की प्रकृति
1	चम्पाराय	एफआईआर पेशकर्ता

अभियोजन पक्ष/बचाव पक्ष/न्यायालय द्वारा प्रदर्शित दस्तावेजों की सूची

क.सं.	प्रदर्श की संख्या	विवरण
1	प्रदर्श पी–01	लिखित रिपोर्ट
2	प्रदर्श पी–02	पुलिस बयान गवाह चम्पाराय

नि र्ण य

दिनांक : 18.08.2026

1. इस निर्णय से अभियुक्तगण चन्द्रप्रकाश, गुमान सिंह, इन्द्रेश कुमार, हरिओम श्रीवास्तव, शैलेन्द्र शर्मा, नरेन्द्र शर्मा, रितेश श्रीवास्तव, मनोज, विजय सिंह के विरूद्ध लंबित प्रकरण का निस्तारण किया जा रहा है। अभियुक्त कपिल मफरूर है, जिसके विरूद्ध विचारण लंबित रहेगा।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 13.7.2008 को परिवादी नरेन्द्र राय ने पुलिस थाना सांगानेर, जयपुर पूर्व पर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि आज दिनांक 13.7.2008 को समय करीब 6–7 बजे शाम की बात है कि उनके घर पर उसके जीजा जी व सुभोद जो उसके जीजा जी काजल वर्मन का बुआ का लडका है, उनके घर पर अपनी मोटरसाईकिल नम्बर आरजे14–एसजेड–9269 से आये, जिनको देखकर उनके पडौसी इन्द्रेश कुमार, मनोज, शैलेन्द्र, विजय, हरिओम, नरेन्द्र, कपिल व इनके अन्य साथी ने उनके जीजा जी व उनके बुआ के लडके को गुण्डा–बदमाश बताकर मारने आये तो उन्होंने घर का दरवाजा बंद कर दिया। तब इन लोगों ने उनके घर पर पत्थर फैंके व कांच की बोतले फैंकी तथा बाहर खडी उनके बुआ के लडके की मोटरसाईकिल में आग लगा दी। यदि वे लोग दरवाजा बंद नहीं करते तो उन्हें ये लोग जान से मार देते। इस घटना के समय उनके घर पर वह, उसकी मॉ व दीदी और जीजा जी व उनके बुआ का लडका ही थे...आदि। उक्त लिखित रिपोर्ट पर पुलिस थाना सांगानेर, जयपुर पूर्व पर प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 738/2008 अपराध धारा 336, 435, 147 भा0द0संहिता में दर्ज हुई, जिसमें बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध धारा 147, 336, 435 भा0द0संहिता में जुर्म प्रमाणित मानते हुये न्यायालय न्यायिक मजि0, प्रथम वर्ग, सांगानेर, जिला जयपुर में आरोप पत्र पेश हुआ। जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 15.04.2009 को उपरोक्त अपराधों में प्रसंज्ञान लिये जाने से प्रकरण नियमित आपराधिक दर्ज रजिस्टर हुआ। प्रकरण कालांतर में अंतरित होकर अग्रिम विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

3. बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्तगण को अपराध धारा 147, 336, 435 भा0द0संहिता में आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये। अभियुक्तगण ने आरोप सुन व समझकर अपराध से इनकार किया व अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन साक्ष्य में गवाह पीडब्ल्यू–01 चम्पाराय को परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में रिपोर्ट प्रदर्श पी–01 व पुलिस बयान गवाह चम्पाराय प्रदर्श पी–02 प्रदर्शित करवाये गये।

5. अभियुक्तगण के बयान मुलजिम अन्तर्गत धारा 313 द0प्र0संहिता के तहत लेखबद्ध किये गये। अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य का गलत होना, झूठा फंसाया जाना, स्वयं का निर्दोष होना कथन करते हुए प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश करने से इनकार किया।

6. बहस अंतिम उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दौराने बहस अभियोजन अधिकारी का तर्क रहा है कि अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर उचित दण्ड से दण्डित किया जावे। अधिवक्ता अभियुक्तगण ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए मुख्यतः तर्क दिये हैं कि प्रकरण में परीक्षित एकमात्र गवाह पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जो कि अभियोजन कहानी की पुष्टि नहीं करता है। मामले में अन्य कोई गवाह परीक्षित नहीं हुआ है। अभियुक्तगण को झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण निर्दोष हैं। अतः उन्हें आरोपित अपराधों में दोषमुक्त घोषित किया जावे।

7. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि :–

1. आया अभियुक्तगण ने दिनांक 13.7.2008 को समय 6.00 पी0एम0 से 7.00 पी0एम0 के मध्य या उसके लगभग प्रताप नगर सांगानेर में विधि विरूद्ध जमाव का सदस्य होते हुए सामान्य आशय के उद्देश्य के अग्रसरण में बल व हिंसा का प्रयोग कर बल्वा कारित किया, परिवादी के घर पर पत्थर व कांच की बोतलें इतने उतावलेपन या उपेक्षा से फैंकी, जिससे मानव जीवन संकटापन्न हुआ, सुभोद व काजल की मोटरसाईकिल को आग लगायी, जिससे 100/–रूपये से अधिक की रिष्टि कारित हुई ?

2. यदि हां तो उचित दण्ड क्या हो ?

8. उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया जाए तो अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहान में पीडब्ल्यू–01 चम्पाराय ने अपनी मुख्य परीक्ष में साक्ष्य दी है कि बयान देने से करीब 17–18 साल पहले शाम के करीब 6–7 बजे उनके घर पर उसका दामाद, काजल व बुआ का लडका सुबोध आया हुआ था। वह घर पर अंदर ही थी। बाहर उनके पडौसियों से इनकी कुछ कहासुनी हो गयी थी, जिसमें धक्का–मुक्की भी हो गयी थी। आवाज सुनकर वह बाहर आयी थी, तब तक वहॉ पर कोई नहीं था। किन–किन पडौसियों से कहासुनी व धक्का–मुक्की हुई, उसकी जानकारी में नहीं है। उसके बाद वे लोग भी घर के अंदर आ गये। घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी–01 थाने पर दर्ज करायी थी, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। गवाह को अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है एवं जिरह द्वारा अभियोजन अधिकारी में गवाह ने कथन किया है कि पुलिस बयान प्रदर्श पी–02 का ए से बी भाग पुलिस को नहीं दिया। यह कहना

गलत है कि उसके पडौसी हरिओम श्रीवास्तव, विजय, इन्द्रेश, मनोज, शैलेन्द्र, नरेन्द्र, कपिल, गुमान सिंह, चन्द्रप्रकाश, रितेश श्रीवास्तव व अन्य ने उनके घर की तरफ आये हों व घर पर पत्थर व कांच की बोतलें फैंकी हो और सुबोध की मोटरसाईकिल के आग लगा दी हो। जिरह द्वारा अधिवक्ता अभियुक्तगण में गवाह ने कथन किया है कि प्रदर्श पी–01 में क्या लिखा है, उसे पता नहीं व उसने केवल हस्ताक्षर किये थे। उसने किसी को मोटरसाईकिल में आग लगाते हुये नहीं देखा।

9. इस प्रकार अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाह पीडब्ल्यू–01 चम्पाराय की साक्ष्य को समग्र रूप से देखा जाए तो गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा में उनके घर आये दामाद, काजल व बुआ के लडके सुबोध का उनके पडौसियों से कहासुनी होना व धक्का–मुक्की होने के अतिरिक्त कोई साक्ष्य नहीं दी है। गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि वह बाहर आई तो वहॉ कोई नहीं था व उसे किन–किन पडौसियों से कहासुनी व धक्का–मुक्की हुई, जानकारी नहीं है। गवाह पक्षद्रोही घोषित हुई है, जिसने अभियोजन अधिकारी द्वारा जिरह किये जाने पर भी पुलिस बयान का सुसंगत भाग पुलिस को नहीं लिखाया जाना एवं इस सुझाव को भी गलत बताया है कि उसके पडौसी हरिओम, विजय, इन्द्रेश, मनोज, शैलेन्द्र, नरेन्द्र, कपिल, गुमान सिंह, चन्द्र प्रकाश, रितेश व अन्य ने उनके घर के तरफ पत्थर व बोतलें फैंकी हो व सुबोध की मोटरसाईकिल में आग लगा दी हो। गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जिरह किये जाने पर भी रिपोर्ट प्रदर्श पी01 पर केवल मात्र हस्ताक्षर होना व उसमें क्या लिखा है, जानकारी नहीं होने की साक्ष्य दी है। प्रकरण का परिवादी, अन्य कोई चश्मदीद, आहत तथा अन्वेषण अधिकारी साक्ष्य में परीक्षित नहीं हुये हैं। अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध साक्ष्य से साबित कराये जाने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण चन्द्रप्रकाश, गुमान सिंह, इन्द्रेश कुमार, हरिओम श्रीवास्तव, शैलेन्द्र शर्मा, नरेन्द्र शर्मा, रितेश श्रीवास्तव, मनोज, विजय सिंह को आरोपित अपराध धारा 147, 336, 435 भा0द0संहिता में साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

10. परिणामतः अभियुक्तगण **01**. चन्द्रप्रकाश पुत्र श्री रमेश चन्द शर्मा, उम्र–वयस्क निवासी–75/99, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर, 0**2**. गुमान सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, उम्र वयस्क, निवासी–75/97, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर, 0**3**. इन्द्रेश कुमार पुत्र श्री शंकरलाल, उम्र वयस्क, निवासी– 75/58, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर, **04.** हरिओम श्रीवास्तव पुत्र श्री गोरधन लाल, उम्र वयस्क, निवासी–75/92, प्रताप नगर,

सांगानेर, जयपुर, **05.** शैलेन्द्र शर्मा पुत्र श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा, उम्र वयस्क, निवासी– 75/99, सेक्टर–7,प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर, 0**6**. नरेन्द्र शर्मा पुत्र श्री रमेश चन्द्र, उम्र वयस्क, निवासी–75/100 सेक्टर–7, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर, **07**. रितेश श्रीवास्तव पुत्र श्री हरिओम श्रीवास्तव, उम्र वयस्क, निवासी– 75/92, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर, 08**.** मनोज पुत्र श्री महोदव, उम्र वयस्क, निवासी– 75/74, सेटर–7, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर, **09.** विजय सिंह पुत्र श्री गोरधनलाल, उम्र वयस्क, निवासी– 75/92, सेक्टर–7, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर को आरोपित अपराध धारा 147, 336, 435 भा0द0संहिता में साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

11. अभियुक्त कपिल मफरूर है, अतः पत्रावली के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से नोट अंकित किया जावे कि पत्रावली का कोई भी भाग बिना न्यायालय की अनुमति के जाया नहीं किया जावे।

(ममता गुप्ता)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–13,
जयपुर महानगर प्रथम (मुख्यालय सांगानेर)।

12. निर्णय आज दिनांक 18.08.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित व मुद्रांकित किया गया।

(ममता गुप्ता)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–13,
जयपुर महानगर प्रथम (मुख्यालय सांगानेर)।